न्यायालय परगनाधिकारी, बिजनौर।

वाद संख्या– टी 20151316012890

धारा–143 जंमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950
परगना–दारानगर

मौजा–बालकिशनपुर
दिलावर सिंह मैमोरियल शिक्षा समिति हल्दौर
द्वारा प्रबन्धक प्रीति चौहान आदि बनाम सरकार

नकल निर्णय दिनांक 20-10-2015

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही दिलावर सिंह मैमोरियल शिक्षा समिति हल्दौर द्वारा प्रबन्धक श्रीमती प्रीति चौहान पत्नी अनुज कुमार निवासी मौ0 रईसान हल्दौर व अध्यक्ष मनोज कुमार पुत्र स्व0 दिलावर सिंह निवासी मौ0 रईसान कस्बा हल्दौर तहसील व जिला बिजनौर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा–143 जेड0ए एण्ड एल0आर0एक्ट दिनांक 02.09.2015 पर प्राप्त तहसीलदार, बिजनौर की आख्या दिनांक 19.09.2015 व 12.10.2015 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार, बिजनौर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 19.09.2015 में उल्लेख किया गया है कि मौजा बालकिशनपुर परगना दारानगर तहसील बिजनौर के गाटा संख्या 10मि0 क्षेत्रफल 0.086 है0 लगान 2.20 पैसे व गाटा संख्या 5मि0 व 6मि0 कुल क्षेत्रफल 0.938है0 लगान 23.10 रूपये राजस्व अभिलेखो में दिलावर सिंह मैमोरियल शिक्षा समिति हल्दौर कस्बा हल्दौर द्वारा अध्यक्ष मनोज कुमार पुत्र स्व0 दिलावर सिंह निवासी मौ0 रईसान दक्षिणी–2 (तोलावाला) कस्बा हल्दौर व तहसील बिजनौर के नाम तथा गाटा संख्या 10मि0 क्षेत्रफल 0.086है0 लगान 2.20 रूपये दिलावर सिंह मैमोरियल शिक्षा समिति हल्दौर द्वारा प्रबन्धक श्रीमती प्रीति चौहान पत्नी अनुज कुमार निवासी मौ0 रईसान दक्षिणी–2 हल्दौर के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि मौके पर खाली है। उक्त भूमि में कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि कार्य नही किया जा रहा है। उक्त ग्राम चकबन्दी व बन्दोबस्त प्रकियाओ के अन्तर्गत नहीं है। अतः मौजा बालकिशनपुर परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर के गाटा संख्या 10मि0 क्षेत्रफल 0.086 है0 लगान 2.20 पैसे व 5मि0 व 6मि0 कुल क्षेत्रफल 0.938है0 लगान 23.10 पैसे तथा गाटा संख्या 10मि0 क्षेत्रफल 0.086है0 लगान 2.20 पैसे को उत्तर प्रदेश जंमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 नियम 135 के अन्तर्गत अकृषिक धोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है। तहसीलदार बिजनौर से पुनः जोत चकबन्दी आकार–पत्र 41 व 45 के सम्बन्ध में पुनः जांच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार बिजनौर ने अपनी जांच आख्या दिनांक 12.10.2015 के अन्तर्गत उल्लेख किया है कि ग्राम बालकिशनपुर की जोत चकबन्दी आकार–पत्र 45 के खाता संख्या 10, 21 व 17 गाटा संख्या 10, 5 व 6 की छायाप्रति सलंग्न है। खाता संख्या 17 गाटा संख्या 5 रकबा 0.945है0 पर निहाल सिंह पुत्र दौलत सिंह निवासी हल्दौर व खाता संख्या 21 गाटा संख्या 6 रकबा 0.931है0 पर फूल सिंह पुत्र मोखा सिह निवासी हल्दौर तथा खाता संख्या 10 गाटा संख्या 10 रकबा 2.777है0 पर ज्वाहारा पुत्र न्यादर निवासी हल्दौर के नाम श्रेणी 1(क) संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अभिलेखो में अंकित है। गाटा संख्या 05/0.945है0 व 6/0.931है0 का बैनामा दिलावर सिंह व सगेन्द्र पाल सिंह पुत्रगण शंकर सिंह, श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी दिलावर सिंह व श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी राजपाल सिंह निवासी कस्बा हल्दौर के नाम हुआ है। दिलावर सिंह की मृत्य के वाद उनके वारिस मनोज कुमार व अनुज कुमार पुत्रगण दिलावर सिंह व श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी दिलावर सिंह के नाम भूमि आयी है। इनके द्वारा बैनामा दिलावर सिंह मैमोरियल शिक्षा समिति हल्दौर के नाम बैनामा किया है। जिसका अमलदरामद सलंग्न वर्तमान खतौनी पर अंकित है। गाटा संख्या 10 रकबा 2.777है0 भूमि ज्वाहारा की मृत्यु के बाद उसके वारिस रामचन्दर सिंह आदि के नाम

क्रमंश—— 2 पर

Scanned by CamScanner

भूमि विरासत से प्राप्त हुई। रामचन्दर सिंह द्वारा बैनामा श्रीमती प्रीति चौहान को किया गया है। अन्त में तहसीलदार बिजनौर द्वारा उपरोक्त भूमि धारा 143 ज़ंमीदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत अकृर्षिक घोषित करने हेतु आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराई गयी है।

मैनें वादनी एव नामिका अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का भलि–भांति अवलोकन किया। वादनी का कथन है कि मौके पर उक्त भूमि में कोई कृषि कार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि का कार्य नही किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि को उ0प्र0ज0वि0अधिनियम की धारा 143 नियम 135 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जावे। नामिका अधिवक्ता को उक्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

वादनी एंव नामिका अधिवक्ता की बहस को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–बालकिशनपुर परगना दारानगर तहसील व जिला विजनौर के गाटा संख्या 10मि0 क्षेत्रफल 0.086 है0 लगान 2.20 पैसे व गाटा संख्या 5मि0 व 6मि0 कुल क्षेत्रफल 0.938है0 लगान 23.10 पैसे तथा गाटा संख्या 10मि0,क्षेत्रफल 0.086है0 लगान 2.20 पैसे भूमि कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन के प्रयोग में नही आ रही है। अतः उक्त भूमि को उ0प्र0ज0वि0अधि0 की धारा 143 नियम 135 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 19.09.2015 व 12.10.2015 मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 जंमीदारी विनाश अधिनियम स्वीकार किये जाते है। मौजा–बालकिशनपुर परगना दारानगर तहसील व जिला बिजनौर के गाटा संख्या 10मि0 क्षेत्रफल 0.086 है0 लगान 2.20 पैसे व गाटा संख्या 5/0.945है0 व गाटा संख्या 6/0.931है0 कुल 2 खेत कुल क्षेत्रफल 1.876है0 में से 0.938है0 लगान 23.10 पैसे तथा गाटा संख्या 10मि0 क्षेत्रफल 0.086है0 लगान 2.20 पैसे को मुक्त करते हुए उ0प्र0ज0वि0अधि0 की धारा 143 नियम 135 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बिजनौर को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु तथा एक प्रति उप–निबन्धक बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जाये।

दिंनाकः–20–10–2015

(अजय कुमार तिवारी)
परगनाधिकारी, बिजनौर।

आज यह आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिंनाकः–20–10–2015

(अजय कुमार तिवारी)
परगनाधिकारी, बिजनौर।

CSF 4 RS 14/-

242
नकल संख्या ....
नकल लेने वाले का नाम .. प्रदीप कुमार
प्रार्थना पत्र का दि० ... 23/5/18
नकल तैयारी का दि० ... 23/5/18
नकल जारी करने का दि० ... 23/5/18
फरमा की संख्या ... 14/-
शब्दों की सं० ... 290 ...
नकलकर्ता — बारीकार

सत्यप्रतिलिपि
पेशकार
न्यायालय परगनाधिकारी, बिजनौर